निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 श्रावण 1946 (श0)
(सं0 पटना 751) पटना, बुधवार, 7 अगस्त 2024

विधि विभाग

अधिसूचना
7 अगस्त 2024

सं० एल०जी०–01–17/2024–4864/लेज: ।— बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर माननीय राज्यपाल दिनांक 05 अगस्त, 2024 को अनुमति दे चुके है, इसके द्वारा सर्व–साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

(बिहार अधिनियम 18, 2024)

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) अधिनियम, 2024

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 2019 का संशोधन करने के लिए एक अधिनियम।

भारत –गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्न रूप से यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।– (1) यह अधिनियम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) अधिनियम, 2024 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 2019 की धारा–11 में संशोधन।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 2019 की धारा–11 की उपधारा (2) (प) के बाद निम्नवत् समावेशित किया जायेगा :–

11 (2) (फ) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित परीक्षाएँ ऑनलाईन पद्धति से भी ली जा सकेगी।

11 (2) (ब) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित सभी तरह की परीक्षाओं में आधुनिक तकनीक/सूचना एवं प्रावैधिकी/कम्प्यूटराइजेशन इत्यादि का प्रयोग किया जा सकेगा।

3. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 2019 की धारा–19 में संशोधन।

(i) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 2019 की धारा–19 की उपधारा (1) निम्नवत प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

19 (1) इस अधिनियम की धारा–20 के अन्तर्गत गठित संबद्धता कमिटि की अनुशंसा पर किसी गैर सरकारी संस्थान या ट्रस्ट/सोसाईटी द्वारा स्थापित माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तथा अन्य संस्थानों की संबद्धता/स्वीकृत करने या वापस लेने की शक्ति समिति को होगी।

परन्तु इंटरमीडिएट (+2) स्तर की शिक्षा देने वाली संस्थाएँ बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1992 की धारा–41 के अधीन स्थापित या स्थापना के लिए मान्यता प्राप्त अथवा अनुज्ञाप्त संस्थाएँ उच्च माध्यमिक परीक्षा के लिए बोर्ड से संबद्ध समझी जाएगी।

(ii) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 2019 की धारा–19 की उपधारा (3) के उपरांत उपधारा (4) निम्नवत समावेशित किया जायेगा :–

19 (4)(क) माध्यमिक/+2 उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा देने वाली कोई भी नई संस्था, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्धता की इच्छा रखता है, तब तक संचालित नहीं होगी, जब तक विहित प्रक्रिया के तहत संस्थान को प्रदत्त की जाने वाली संबद्धता का समिति से अनुमोदन प्राप्त न हो जाय।

19 (4)(ख) किसी गैर–सरकारी संस्थानों अथवा किसी ट्रस्ट/सोसाईटी द्वारा माध्यमिक/उच्च माध्यमिक (+2 स्तर) के विद्यालय की स्थापना की जानी हो, तो उस संस्थान को समिति द्वारा सम्बद्धता हेतु निर्धारित विहित प्रपत्र में निरीक्षण शुल्क एवं सम्बद्धता शुल्क के साथ भुगतान पश्चात मान्यता प्रदान करने के लिए आवेदन किया जाना आवश्यक होगा। निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क अप्रत्यार्पणीय होगी, परन्तु पाँच वर्ष की अवधि के अन्दर यदि सम्बद्धता हेतु संस्थान द्वारा पुनः आवेदन किया जाता है, तो सिर्फ निरीक्षण शुल्क देय होगा, सम्बद्धता शुल्क देय नहीं होगा।

4. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 2019 की धारा–20 में संशोधन।

(i) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 2019 की धारा–20 की उपधारा (1) निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

(1) समिति द्वारा, सम्बद्धता समिति का गठन किया जाएगा, जिसे गैर–सरकारी संस्थाओं या ट्रस्ट/सोसायटी द्वारा स्थापित माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तथा अन्य संस्थानों जिनके लिए परीक्षा आयोजित करनी होती है, की सम्बद्धता स्वीकृत करने या वापस लेने हेतु अनुशंसा करेगी।

(ii) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 2019 की धारा–20 की उपधारा (4) के बाद उपधारा (5) निम्नवत् समावेशित किया जायेगा :–

(5) (i) गैर सरकारी अनुदानित शिक्षण संस्थानों, जो समिति से सम्बद्ध होंगे, का संचालन शासी निकाय एवं प्रबंध समिति द्वारा की जायेगी।

(ii) संस्थान के घोषित दानदाता, समिति द्वारा चक्रानुक्रम में शासी निकाय एवं प्रबंध समिति के अध्यक्ष नामित किये जायेगें, जिनका कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। कोई एक दानदाता अधिकतम दो कार्यकाल (छः वर्ष) तक अध्यक्ष रह सकेंगे।

(iii) दानदाता की घोषणा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सम्बद्धता विनियमावली के आधार पर समिति द्वारा किया जायेगा। समिति का निर्णय अंतिम होगा।

(iv) किसी गैर सरकारी अनुदानित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक (+2 स्तर) संस्थान में कोई दानदाता नहीं रहने की स्थिति में सम्बद्धता विनियमावली में वर्णित प्रावधान के आलोक में शासी निकाय एवं प्रबंध समिति के गठन की कार्यवाही समिति द्वारा की जायेगी।

(v) निबंधित ट्रस्ट के द्वारा संचालित गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों का एवं प्रबंधन समिति ट्रस्ट के प्रावधान के अनुसार होगा।

5. **बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 2019 की धारा–23 में संशोधन।**

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 2019 की धारा–23 में निम्नवत् (ढ़) के बाद समावेशित किया जायेगा :–

(ण) परीक्षा परिसर/वज्रगृह/छात्रावास/विद्यालय सुदृढ़ीकरण के कार्य में समिति द्वारा व्यय किया जा सकेगा।

(त) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में प्रवेश के लिए आवासीय एवं गैर–आवासीय अनुशिक्षण की व्यवस्था पर समिति द्वारा व्यय किया जा सकेगा।

6. **बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 2019 की धारा–24 में संशोधन।**

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 2019 की धारा–24 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

24. समिति के लेखाओं का अंकेक्षण– राज्य सरकार से प्राप्त निधि/अनुदान का अंकेक्षण किया जा सकेगा।

7. **बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 2019 की धारा–30 में संशोधन।**

(i) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 2019 की धारा–30 की उप धारा (i) एवं (ii) में निम्नांकित शब्दावली सन्निविष्ट किया जाएगा:–

(i) उच्च माध्यमिक, माध्यमिक के उपरान्त 'अन्य विविध परीक्षाएँ'

(ii) उपधारा (iii) एवं (iv) में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के उपरान्त 'अन्य विविध परीक्षाएँ'

---

7 अगस्त 2024

सं० एल०जी०–01–17/2024–4865/लेजः।—– बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और माननीय राज्यपाल द्वारा dated-05th August, 2024 को अनुमत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) अधिनियम, 2024 (बिहार अधिनियम 18, 2024) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

(Bihar Act 18, 2024)

The Bihar School Examination Board (Amendment) ACT, 2024

AN

ACT

To Amend The Bihar School Examination Board Act, 2019

Be it in enacted by the Legislature of the State Bihar in the Seventy fifth year of the Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and commencement- (1) This Act may be called The Bihar School Examination Board (Amendment) Act, 2024.

(2) It shall extend to whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Section-11 of The Bihar School Examination Board Act, 2019.

The following shall be included after sub section (2) (u) of section 11 of The Bihar School Examination Board Act, 2019:-

(2) (v) Examinations through online mode could also be conducted by Bihar School Examination Board.

(2) (w) Modern technique / information and technology / computerization etc may be used in all types of examinations conducted by Bihar School Examination Board.

3. Amendment of Section-19 of The Bihar School Examination Board Act, 2019.

(i) Sub section (1) of Section-19 of The Bihar School Examination Board Act, 2019 shall be substituted by the following :-

(1) On the recommendation of the Affiliation Committee constituted under Section 20 of this Act, the Board will have the power to grant approval or withdraw the affiliation of a secondary, higher secondary and other institutions granted affiliation/approval by the Board, established by any non-government organization or trust/society.

Provided that the institutions imparting Intermediate (+ 2 level education) established and recognized or authorized for establishment under Section 41 of Bihar Intermediate Education Council Act 1992 will be deemed to be affiliated with the Board for higher Secondary examination.

(ii) The following shall be included after sub section (3) of section 19 of The Bihar School Examination Board Act, 2019 :-

(4)(a) Any new institution imparting secondary/+2 higher secondary level education, which wishes to be affiliated with the Bihar School Examination Board, shall not operate unless the affiliation to be granted to the institution is approved by the Board under the prescribed procedure.

(4)(b) If a secondary /higher secondary (+2 level) school is to be established by any non-government institution or any trust /society, then that institution will be required to apply for recognition after paying inspection fee and affiliation fee in the prescribed form prescribed for affiliation by the Board. Inspection and Affiliation Fee will be non-refundable, but if the institute re-applies for affiliation within a period of five years, then only inspection fee will be payable, affiliation fee will not be payable.

4. Amendment of Section-20 of The Bihar School Examination Board Act, 2019.

(i) Sub section (1) of Section-20 of The Bihar School Examination Board Act, 2019 shall be substituted by the following :-

(1) The Affiliation Committee shall be constituted by the Board to recommend for granting or withdrawing affiliation of secondary, higher secondary and other institutions established by non-governmental institutions or trust/society for which it has to conduct examinations.

(ii) The following Sub section (5) shall be included after sub section (4) of section-20 of The Bihar School Examination Board Act, 2019:-

(5) (i) The non-government aided educational institutions affiliated to the Board shall be managed by the Governing Body and Managing Committee.

(5) (ii) The declared donors of the institution shall be nominated by the Board as the Chairpersons of the Governing Body and Management Committee in rotation, whose tenure shall be three years. Any one donor may remain as Chairperson for a maximum of two terms (six years)

(5) (iii) The declaration of the donor will be made by the Board on the basis of Bihar School Examination Committee Affiliation Regulations. The decision of the Board will be final.

(5) (iv) In case there is no donor in any non-government aided secondary / higher secondary (+2 level) institution, the Board will undertake action to constitute the governing body and management committee in the light of the provision mentioned in the affiliation regulations.

(5) (v) The managing committee of non-government educational institutions run by a registered trust will be as per the provision of the trust.

5. Amendment of Section-23 of The Bihar School Examination Board Act. 2019.

The following shall be included after sub section (m) of section-23 of The Bihar School Examination Board Act, 2019:-

(n) Expenditure can be made by the Board in the work of strengthening of examination premises/ strong rooms/ hostels/ schools.

(o) Expenditure may be made by the Board on arrangement of residential and non-residential coaching for students of Bihar School Examination Board for admission in various types of examination.

6. Amendment of Section-24 of The Bihar School Examination Board Act, 2019.

Section-24 of The Bihar School Examination Board Act, 2019 shall be substituted by the following :-

24. Audit of the account of the Board-. The funds/grants received from the State Government can be audited.

7. Amendment of Section-30 of The Bihar School Examination Board Act, 2019.

In Sub section (i) and (ii) of Section-30 of The Bihar School Examination Board Act, 2019 following words shall be inserted:-

(i) After Senior Secondary and Secondary, 'other miscellaneous examinations.'

(ii) In Sub section (iii) and (iv) After Secondary and Senior Secondary 'other miscellaneous examination.'

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 751-571+400-डी0टी0पी0
Website: http://egazette.bih.nic.in